इ ताम
हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकु

उनवान धारूसिंह वगै0 बनाम भंवरसिंह वगै0

अपील नामान्तकरण संख्या 16/2016

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 302 दिनांक 5.9.16
ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द तहसील बसवा

दिनांक निर्णय–27.11.2017

पत्रावली दिनांक 27.11.2017 को न्यायालय में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। बहस वकील उभय पक्ष सुनी जा चुकी है। अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नामान्तकरण सं0 302 दिनांक 5.9.16 ग्रा0 पं0 बडियालखुर्द तह0 बसवा प्रस्तुत हुई। अपील अपीलान्ट ने अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा आ0 ख0 नं0 540 व 541 पर स्थगन आदेश होने के उपरान्त भी दोनो नम्बरों की 1.73 है0 भूमि वाके ग्राम बडियाल खुर्द में दिनांक 5.9.16 को व्ययनामा करा दिया गया। रेस्पो0 नं0 11 के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करा दिया गया तथा दिनांक 5.9.16 को ही ग्राम पंचायत बडियालखुर्द द्वारा नामा0 सं0 302 तस्दीक कर दिय गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा विक्रय पत्र तथा नामान्तकरण की कार्यवाही के अपीलान्ट के बिना सुने काना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का उल्लघंन करना अंकित किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की जाकर आपत्ति अपील प्राप्त की गई। रेस्पोडेन्ट का जर्ये आपत्ति अंकित किया है कि अपीलाधीन ख0 नं0 540 व 541 न्यायालय के आदेशो की पालना में खातेदारी प्राप्त हुई है। नामा0 सं0 86 दिनांक 20.5.75 से अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम खातेदारी प्राप्त हुई है। जिस नामा0 की कोई अपील अपीलान्ट द्वारा नही की गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 11 को जर्ये विक्रय पत्र विधिवत रूप से उप पंजीयक बसवा के यहां दस्तावेज पंजीबद्व करा कर नामान्तकरण खुला कर खरीद शुदा भूमि पर चार दीवारी कर पुख्ता निमार्ण किया हुआ है। अन्त मे अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

27/11/17

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)

हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा प्रस्तुत अपील व अपील पत्रावलि का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण विक्रय पत्र आदि का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि विक्रय पत्र दिनांक 5.9.16 को तस्दीक कराया गया है तथा उसी दिन दिनांक 5.9.16 को ग्राम पचायत बडियाल खुर्द द्वारा नामान्तकरण संख्या 302 को स्वीकार कर तस्दीक किया गया है जो संदेहास्पद प्रतीत होता हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 302 दिनांक 5.9.16 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बसवा के अपील रिमाण्ड की जाकर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान की पुनः विधिवत सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुकूल निर्णय पारित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार बसवा को निर्णय की पालना हेतु प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली बाद पूर्ति जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

/11/17

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई